06.08.2025	पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/सरिश्ता/एफ–01(02)2019/491 दिनांक 05.08.2025 की पालना में न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन से अंतरित होकर प्राप्त हुई है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रकरण की न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन में अग्रिम पेशी दिनांक 17/9/2025 नियत रही है। तदनुसार वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली इस न्यायायल में भी उक्त पेशी दिनांक 17/9/2025 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन	348 2025
17/9/2025	वकील प्रार्थी हाजिर नहीं। बार-बार आवाज लगाई गई घोर नहीं। हाजिर नहीं आने से पत्रावली अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी में रवाना की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख के रूप में। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन	